भारत सरकार
राजस्व मंत्रालय
आयकर विभाग
कार्यालय आयकर आयुक्त,
न्यू सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, एन.एच. (IV), एन.आई.टी. फरीदाबाद।

1. फाईल संख्या	:	आ.आ./फरी./तक./12ए/2014-15/107/11
2. प्रार्थी का नाम एवं पूरा पता	:	एण्ड पोवर्टी, एम-48, 1st फ्लौर, साउथ सिटी-1, गुड़गाँव।
3. हैसियत	:	सोसायटी
4. पैन	:	AAATE3346B
5. आदेश की तारीख	:	30.05.2014

<u>आयकर अधिनियम 1961, की धारा 12एए(1)(ब)(i) के अन्तर्गत आदेश</u>

एण्ड पोवर्टी, एम-48, 1st फ्लौर, साउथ सिटी-1, गुड़गाँव ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अन्तर्गत छूट हेतु दिनांक 07.01.2014 को आवेदन निर्धारित फार्म 10ए भरकर इस कार्यालय में दाखिल किया है।

2. यह सत्यापित करने के लिए धारा 12ए के अधीन सभी शर्तें छूट हेतु पूरी कर ली गई हैं, पत्र फ.स.आ.आ./फरी./तक./12ए/2013-14/751 दिनांक 02.05.2014 सोसायटी को जारी किया गया था और सोसायटी द्वारा प्रस्तुत किये गये ब्यौरों और दस्तावेजों को जांचा गया।

3. दिनांक 07.01.2014 को सोसायटी द्वारा दाखिल किये गए प्रार्थना पत्र और मेरे समक्ष दिनांक 08.05.2014 को निवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरों व दस्तावेजों को जांचने के पश्चात, मैं सोसायटी के उद्देश्यों और उनके कार्य-कलापों की वास्तविकता से सहमत हूँ। सोसायटी को दिये गये दान के फलस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 12ए व उससे संबंधित नियमों के अन्तर्गत दानकर्ता को छूट प्राप्त होगी। तदानुसार, सोसायटी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के अधीन पंजीकरण स्वीकृत किया जाता है और इस कार्यालय में धारा 12ए के अधीन रखे गए प्रार्थना पत्र रजिस्टर में दिनांक 30.05.2014 को सोसायटी का पंजीकरण आ.आ./फरी./तक./12ए/2014-15/107/11 को इस उद्देश्य हेतु रिकार्ड में भी ले लिया गया है।

FARIDABAD
Exemption U/s 12A
No.: 11/30-05-2014

यह आदेश अनुमोदन के लिए निम्नलिखित शर्तों के तहत लागू होगा:-

(i) यदि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और नियम व विनियमों में कोई संशोधन किया जाता है तो उसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को देनी होगी।

(ii) धारा 12एए(1)(बी)(i) के अधीन पंजीकृत सोसायटी ऐसा कोई कार्य या गतिविधि नहीं करेगी जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(15) के परन्तुक(शर्तें/प्रतिबंध) के अधीन आती है। जैसे:- व्यापार, वाणिज्य अथवा कारोबार की गतिविधियां करना, किसी व्यापार, वाणिज्य अथवा कारोबार से संबंधित सेवा प्रदान करने की गतिविधि, किसी अन्य प्रतिफल के लिए उपकार या शुल्क देना अथवा बिना प्रभाव के आय की प्रकृति के प्रयोग को प्रतिधारण करना इत्यादि।

(iii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(4ए) के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी को नियमित रूप से आयकर प्राधिकरण के समक्ष आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होगी। सोसायटी नियमित रूप से बहीखातों का रख-रखाव करेगी और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए(बी) के प्रावधानों के अनुसार ऑडिट करवाएगी। प्रत्येक गतिविधि के संबंध में अलग से खाता रखना होगा जैसे कि ज्ञापन में विनिर्दिष्ट है। प्रत्येक खाते की प्रति निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

(iv) यह प्रमाण-पत्र सोसायटी को अपने निर्धारण में आयकर से छूट के दावे के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। निर्धारण अधिकारी अलग से और स्वतंत्र रूप से अधिनियम की धारा 2(15) के अंतर्गत यह जांच कर सकता है कि क्या निर्धारिती धर्मार्थ है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11, 12, 12ए(बी) और 13 में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है।

4. दान पाने वाली सोसायटी यदि बताई गई शर्तों को पूरा नहीं करती या किसी तरह का उल्लंघन करती है तो नियम के अधीन सोसायटी यह लाभ गंवा बैठेगी।

5. यह आदेश छूट के लिए वितीय वर्ष 2013-14 संबंधित निर्धारण वर्ष 2014-15 एवं इसके उपरान्त के वर्षों पर लागू होगा, जब तक इसे वापस न लिया जाए।

हस्त/-
(नीना कुमार)
आयकर आयुक्त, फरीदाबाद।

476

प्रतिलिपि:

1. एण्ड पोवर्टी, एम-48, 1st फ्लॉर, साउथ सिटी-1, गुड़गाँव ।
2. अपर आयकर आयुक्त, रेंज-1, गुड़गाँव ।
3. उप आयकर आयुक्त, सर्कल-1, गुड़गाँव।

(एस.एल. गर्ग)
आयकर अधिकारी, मु.(तक.)
कृते आयकर आयुक्त, फरीदाबाद।